फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
1. मैसर्स शिवकाया एसोसियट जरिए पॉवर ऑफ एर्टोनी होल्डर श्री लालसिंह पुत्र श्री किशनसिंह निवासी कुमावतों का गुडा इसवाला थाना बडगांव जिला उदयपुर।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

किरम मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट**

मुकदमा नं 30 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.07.2024	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही के सी. आर. नं. 127 दिनांक 20.03.2024 में उपाधीक्षक पुलिस वृत पिण्डवाडा द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का वाहन टाटा यौद्धा नम्बर आरजे 27 जीडी 2026 पकडा गया हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 20.03.2024 को श्री भंवर लाल चौधरी उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत्त पिण्डवाडा को श्री पन्नालाल उप निरीक्षक प्रभारी चौकी मोरस द्वारा जरिए दूरभाष इत्तला दी कि एक टाटा यौद्धा नम्बर आरजे 27 जीडी 2026 की बन्द बॉडी की गाडी जो मोरस टोलनाके पर नाकाबन्दी के दौरान पुलिस जाप्ता को देखकर गाडी को वापस घुमाने के प्रयास में थे, जिस पर पुलिस जाप्ता ने वाहन को रूकवाकर वाहन को मौके पर पकडा एवं वाहन की चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने अपना नाम श्रीलाल रेबारी पुत्र श्री बद्रीलाल जाति रेबारी निवासी बाटेडा थाना खरोदा जिला उदयपुर होना बताया व उसकी पास की सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने अपना नाम श्री लालसिंह पुत्र श्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी कुमावतों का गुडा इसवाल थाना बडगांव जिला उदयपुर होना बताया तथा टाटा यौद्धा बंद बॉडी गाडी में भरे माल के बारे में पूछने पर उक्त टाटा यौद्धा वाहन में बायो डीजल से भरा टैंक होना बताया। मौके पर टाटा यौद्धा में बन्द बॉडी के अन्दर बिना लॉक में रखे टैंक में भरे माल के बारे में पूछने	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Continue.....

Scanned with CamScanner

पर उक्त टैंक में श्री लालसिंह ने बताया कि उक्त वाहन शिवकाया एसोसियट के नाम से पंजीकृत होकर उसके मालिक श्री अजयपालसिंह चूण्डावत बांसवाडा से आठ लाख में तय कर दो लाख रूपए देकर अपने पास में चलाने के लिए ले रखी है और बाकी शेष राशि चुकता करने पर वाहन के कागजात अपने नाम करवाने का तय किया था, जिससे मौके पर वाहन के कोई कागजात नहीं थे। उसने बताया कि वह वाहन में बायोडीजल भरकर सिरोही जिले में अलग–अलग जगह पर आवश्यकतानुसार जिस ग्राहक का फोन आता है, उसे बेचता है। आज दिनांक 20.03.2024 को दोपहर करीब एक बजे रॉयल बॉयो फिलिंग स्टेशन एन.एच. 27 एच.पी. पेट्रोल पम्प के सामने पिण्डवाडा रोड बेकरिया (सांई बांध) जिला उदयपुर से करीबन 2400 लीटर बायोडीजल 80 रूपए प्रति लीटर की दर से 1,92,000/– रूपयों का बायोडीजल भर कर अरूणा मोटर्स सिरोही लेकर जाना बताया एवं उक्त बायोडीजल को परिवहन करने के सम्बन्ध में लाईसेन्स के बारे में पूछने पर उन्होनें अपने पास बायोडीजल का परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई परमिट नहीं होना बताया। मौके पर वाहन को चैक करने पर उसमें भरे तरल पदार्थ को सूंघने पर वह बायोडीजल/डीजल होना प्रतीत हो रहा था, जिसके सम्बन्ध में श्री लालसिंह द्वारा मौके पर कोई बिल व अनुज्ञापत्र होना नहीं बताया। अतः भारी मात्रा में अवैध रूप से बायोडीजल/डीजल को बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप रो परिवहन करने से अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्ल्धन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघंन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का स्वामी मैसर्स शिवकाया एसोसियट जरिए पॉवर ऑफ एर्टोनी होल्डर श्री लालसिंह पुत्र श्री किशनसिंह राजपूत निवासी कुमावतों का गुडा इसवाला थाना बडगांव जिला उदयपुर केवल मात्र वाहन का एक मात्र स्वामी है एवं वाहन के थाने में पडे रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। अतः उक्त वाहन में जो डीजल है, उसे राज्य सरकार बेचकर राशि प्राप्त करे या वाहन का डीजल राज्य सरकार ड्रमों में भरकर अपने पास रख कर उक्त वाहन को खाली कर प्रार्थी को सुपूर्द करे। पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Continue.....

Scanned with CamScanner

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

अतः वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा बायोडीजल/डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन को कब्जे सरकार लिया गया है। एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है।

ऐसी स्थिति में वाहन को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें। उपाधीक्षक पुलिस पिण्डवाडा द्वारा थाना पिण्डवाडा के मुकदमा संख्या 127 दिनांक 20.03.2024 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में टाटा यौद्धा वाहन नम्बर आरजे 27 जीडी 2026 को कब्जे सरकार लिया गया है। वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना पिण्डवाडा के एफ आई आर क्रमांक 127 दिनांक 20.03.2024 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि पुलिस द्वारा टाटा यौद्धा वाहन नम्बर आरजे 27 जीडी 2026 को प्रार्थी द्वारा बायोडीजल/डीजल चोरी करते हुए पाए जाने से वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसन्धान जारी है। मौके पर प्रार्थी श्री लालसिंह से उक्त बायोडीजल/डीजल के अनुज्ञापत्र व बिल इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र व बिल नहीं होना बताया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वयं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि उक्त वाहन में डीजल भरा हुआ था, जबकि उसके द्वारा बायोडीजल के सम्बन्ध में बिल प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं बिल में विरोधाभास प्रतीत हो रहा है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Continue.....

Scanned with CamScanner

चूंकि उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

उक्त विधिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 08,00,000/– की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिए जाने के आदेश दिए जाते है। चूंकि उक्त वाहन में 2400 लीटर बायोडीजल/डीजल भरा हुआ है, उसके लिए प्रार्थी स्वयं अपने स्तर पर कब्जे सरकार लिए गए बायोडीजल/डीजल की बराबर क्षमता के खाली ड्रम थानाधिकारी पुलिस थाना पिण्डवाडा को सुपूर्द करे एवं थानाधिकारी पुलिस थाना पिण्डवाडा कब्जे सरकार लिए गए बायोडीजल/डीजल को उक्त ड्रमो में खाली कर कब्जे सरकार रखकर उसका नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना पिण्डवाडा को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner